महत्वपूर्ण।
संख्या–1194/5–1–2015–5(11)/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त अपर मण्डलीय निदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ0प्र0।

2– **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उ0प्र0।

3– **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,**
राजकीय चिकित्सालय, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषयः सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मों से औषधियों का क्रय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि एन0आर0एच0एम0 प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा कतिपय फर्मों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा0 न्यायालय में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि औषधि क्रय हेतु फर्मों से दर अनुबंध किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निविदा प्रपत्रों के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों में शर्त संख्या–9 निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किया गया है :–

"Firms should give an affidavit that there is no Court Case/ Vigilance Case/CBI Case pending against the firm. All the documents given in the tender are true. If found false/fake the person who is giving affidavit is fully responsible Any action taken against person/firms will have to be be accepted by the firm. .(court case means "criminal case" against firm/board of director/directors /principle stock holder as per relevant laws.)"

यह भी अवगत कराना है कि उक्त निविदा के क्रम में कतिपय ऐसी फर्मों द्वारा भी निविदा डाली गयी जिनके विरूद्ध सी0बी0आई0 द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा0 न्यायालय में चल रहा है। सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मों द्वारा डाली गयी निविदा के क्रम में उन फर्मों से औषधि क्रय के सम्बन्ध में इसी आधार पर विचार नहीं किया गया और न ही इन फर्मों से किसी औषधि के क्रय हेतु शासन द्वारा दर अनुबंध की अनुमति ही दी गयी है। सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मों का विवरण निम्नलिखित है :–

क0सं0	फर्म का नाम	फर्म के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 का विवरण
1	**M/s. Daffodills Pharmaceuticals, Jawahar Nagar, Rohta Road, Opp. Godwill Public School, Meerut**	**RC/DST/2012/A/0004**
2	**M/s Micron Pharmaceuticals, Plot No. 2117 A-2, Phase 3, GIDC, Vapi, Gujarat**	**RC/DST/2012/A/0009**

3	**M/s Jackson laboratories Pvt. Ltd, Amritsar, Punjab**	**(i)RC/DST/2013/A/0014** **(ii)RC/DST/2014/A/0004** **(iii) RC/DST/2013/A/0002**
4	**M/S Care Pharma r/o 6/194, IMRT near Business School, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow.**	**(i)RC/DST/2013/A/0017** **(ii)RC.3(A)/2013 – SCB/LKO**
5	**M/s Anod Pharma PVT. LTD. KANPUR**	**(i)RC.1(A)/2012/SC-III/ND(SCB Lucknow)** **(ii) RC. 2/2012-EOU-IV**

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उक्त फर्मो से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0 सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

3– वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0आर0एच0एम0 प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उपर्युक्त फर्मो से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) शासन के अग्रिम आदेशों तक कदापि न किया जाय। यदि किसी चिकित्सालय प्रभारी द्वारा शासन की बिना अनुमति के इन फर्मो से औषधि क्रय किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों का पालन कराने हेतु प्रेषित :–

1– मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

महत्वपूर्ण।
संख्या-1194/5-1-2015-5(11)/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मण्डलीय निदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ0प्र0।

2- **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उ0प्र0।

3- **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,**
राजकीय चिकित्सालय, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय: सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मो से औषधियों का कय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि एन0आर0एच0एम0 प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा कतिपय फर्मो के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा0 न्यायालय में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि औषधि कय हेतु फर्मो से दर अनुबंध किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निविदा प्रपत्रों के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो में शर्त संख्या-9 निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किया गया है :-

"Firms should give an affidavit that there is no Court Case/ Vigilance Case/CBI Case pending against the firm. All the documents given in the tender are true. If found false/fake the person who is giving affidavit is fully responsible Any action taken against person/firms will have to be be accepted by the firm. .(court case means "criminal case" against firm/board of director/directors /principle stock holder as per relevant laws.)"

यह भी अवगत कराना है कि उक्त निविदा के कम में कतिपय ऐसी फर्मो द्वारा भी निविदा डाली गयी जिनके विरूद्ध सी0बी0आई0 द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा0 न्यायालय में चल रहा है। सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मो द्वारा डाली गयी निविदा के कम में उन फर्मो से औषधि कय के सम्बन्ध में इसी आधार पर विचार नहीं किया गया और न ही इन फर्मो से किसी औषधि के कय हेतु शासन द्वारा दर अनुबंध की अनुमति ही दी गयी है। सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित फर्मो का विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	फर्म का नाम	फर्म के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 का विवरण
1	**M/s. Daffodills Pharmaceuticals, Jawahar Nagar, Rohta Road, Opp. Godwill Public School, Meerut**	**RC/DST/2012/A/0004**
2	**M/s Micron Pharmaceuticals, Plot No. 2117 A-2, Phase 3, GIDC, Vapi, Gujarat**	**RC/DST/2012/A/0009**

3	**M/s Jackson laboratories Pvt. Ltd, Amritsar, Punjab**	(i)**RC/DST/2013/A/0014** (ii)**RC/DST/2014/A/0004** (iii) **RC/DST/2013/A/0002**
4	**M/S Care Pharma r/o 6/194, IMRT near Business School, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow.**	(i)**RC/DST/2013/A/0017** (ii)**RC.3(A)/2013 – SCB/LKO**
5	**M/s Anod Pharma PVT. LTD. KANPUR**	(i)**RC.1(A)/2012/SC-III/ND(SCB Lucknow)** (ii) **RC. 2/2012-EOU-IV**

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उक्त फर्मो से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0 सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्य (लोकल परचेज) किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

3– वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0आर0एच0एम0 प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उपर्युक्त फर्मो से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्य (लोकल परचेज) शासन के अग्रिम आदेशों तक कदापि न किया जाय। यदि किसी चिकित्सालय प्रभारी द्वारा शासन की बिना अनुमति के इन फर्मो से औषधि क्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों का पालन कराने हेतु प्रेषित :–

1– मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
अनु सचिव।